न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

प्रा०प्र० प्रकरण :- जितेन्द्र प्रसाद बनाम बनारसी वगैरह धारा 15/202/22

18/10/22 13/07/22

प्रार्थी पक्ष की तरफ से तकरीर प्रस्तुत की गई। संबंधित तहसीलदार बानसूर का स्थानान्तरण हो चुका है। नये संबंधित तहसीलदार, बानसूर का नियुक्ति पद पर होने के कारण सुनवाई पत्रावली का कोई औचित्य नहीं है। निस्तारण प्रभावहीन है। अतः पत्रावली सुनवाई न्यायिक दिनांक तक पत्रावली औचित्य प्रमाण होकर पत्रावली तकमील दफ्तर किया जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)